

प्रेषक,

मो0 वासिफ,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,

नगर पंचायत, उसका बाजार,

जनपद-सिद्धार्थनगर।

नगर विकास अनुभाग- 9

लखनऊ : दिनांक 09 जनवरी, 2024

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2023-24 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

**महोदय,**

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या- 164/2016/आरएफ1492/नौ-9-2016-133 आरएफ/ 16, दिनांक-21.12.2016 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016-17 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में उक्त शासनादेश में उल्लिखित इंटरलाकिंग का निर्माण कार्य हेतु नगर पंचायत, उसका बाजार, जनपद-सिद्धार्थनगर को रू0 25.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 12.50 लाख अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष, कराये गये कार्यों की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी, जनपद-सिद्धार्थनगर द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी, जनपद-सिद्धार्थनगर की उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन नगर पंचायत, उसका बाजार, जनपद- सिद्धार्थनगर को द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि **रू0 12.50 लाख (रूपये बारह लाख पचास हजार मात्र)** अनुदान संख्या-37, पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-


**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों**

(1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37, के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02मल जल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-05-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

(2) संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त बिल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरित की जानी सुनिश्चित करेंगे।

- (3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 मार्च, 2024 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (4) शासनादेश संख्या-164/2016/आरएफ1492/नौ-9-2016-133 आरएफ/16, दिनांक-21.12.2016 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
- (5) उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि जिलाधिकारी प्रथम किशत की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो लेगे, तभी द्वितीय किशत की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत की जा रही द्वितीय किशत की धनराशि से शासनादेश संख्या-864/नौ-9-20-एल0सी0/19, दिनांक- 19 जून, 2020 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि (यदि कोई हो) की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।


3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021930500 पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
(मा0 वासिक)  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 115/2023/आरएफ-1/नौ-9-2023/034-E-1700470, तद दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी, जनपद-सिद्धार्थनगर।
5. कोषाधिकारी, जनपद-सिद्धार्थनगर।
6. निजी सचिव, मा0 मन्त्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।
9. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,  
  
(मा0 वासिक)  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024  
आवंटन दिनांक-09/01/2024


प्रेषण संख्या:- 115  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-115-2024-RF10-9-9-2024-034-E-1700470  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता  
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	सिद्धार्थनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	1250000	1250000
		प्रगामी	36193000	36193000
	योग	वर्तमान	1250000	1250000
		प्रगामी	36193000	36193000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बारह लाख पचास हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ इकसठ लाख तिरानवे हजार

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव